[2021] 1 एस सी आर 191

अजय कुमार @बिट्टू और एक अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 88 वर्ष 2021)

29 जनवरी, 2021

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी, एम. आर. शाह, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस. 319 - आवेदन के तहत-अपीलकर्ताओं को दिनांक 17.8.2019 के आदेश द्वारा तलब किया गया-चूंकि अपीलकर्ता अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, इसलिए 5.9.2019 पर जमानती वारंट और गैर-जमानती वारंट जारी किए गए।

यू/एस नोटिस जारी करते हुए 18.9.2019 पर जारी किया गया। 446 क्र. पी. सी.-दिनांक 2 के आदेश के खिलाफ अपीलार्थियों द्वारा आपराधिक संशोधन-उच्च न्यायालय ने इस आधार पर संशोधन को खारिज कर दिया कि तथ्य को छिपाया गया था क्योंकि दिनांक 1 के आदेश को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः पावर यू/एस। 319 असाधारण और विवेकाधीन है और इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए-उच्च न्यायालय ने किया

दिनांकित 17.8.2019 आदेश की शुद्धता पर विचार नहीं करते हैं -

बाद की कार्यवाही दिनांकित 17.8.2019-ऑर्डर ऑफ हाई की शुद्धता और वैधता पर विचार नहीं करने का आधार नहीं हो सकती है।

न्यायालय अस्थिर है-उच्च न्यायालय को कानून के अनुसार संशोधन पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति एक है

विवेकाधीन और असाधारण शक्ति जिसका प्रयोग किया जाना है संयम से। जिस परीक्षण को लागू करना है वह अधिक है।

आरोप तय करने के समय प्रयोग किए गए प्रथम दृष्टया मामले की तुलना में, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि सबूत, यदि जाता है

निर्विवाद, दोषसिद्धि की ओर ले जाएगा। [पैरा 5] [195-जी-एच; 196-ए]

एस. सी. सी. 92 [2014] 2 एस. सी. आर. 1-इसके बाद आया।

राजेश और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य (2019) 6 एससीसी 368 [2019] 8 एस. सी. आर. 187-पर निर्भर।

2.1 उच्च न्यायालय के फैसले का अवलोकन इंगित करता है

कि उच्च न्यायालय ने उस दिनांकित 17.08.2019 आदेश की शुद्धता की जांच नहीं की, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को धारा 319 Cr.P.C के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा तलब किया गया था, बल्कि बाद के तथ्य के आधार पर आपराधिक संशोधन को खारिज कर दिया है, यानी 18.09.2019 आदेश जिसके द्वारा धारा 446 Cr.P.C के तहत नोटिस जारी किया गया है। उच्च न्यायालय ने आगे यह विचार रखा कि चूंकि धारा 319 Cr.P.C के अनुसरण में कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है और यह कि दिनांकित 17.08.2019 के विवादित आदेश को एक साथ चुनौती देने के लिए कोई चुनौती नहीं दी गई है।

धारा 319 Cr.P.C के तहत संशोधनवादी उच्च न्यायालय के समक्ष तब तक मान्य होंगे जब तक कि संशोधनवादी के कहने पर कार्यवाही में पारित किया गया 18.09.2019 का आदेश कायम नहीं रहता। [पैरा 8] [197-जी-एच; 198-ए-बी]

2.2 05.09.2019 दिनांकित आदेश पत्र इंगित करता है कि हालाँकि अपीलार्थियों को समन भेजा गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए हैं, इसलिए अपीलार्थियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बाद 18.09.2019 गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। 05.09.2019 और 18.09.2019 पर कार्यवाही दिनांकित आदेश के परिणामस्वरूप और उसके बाद की कार्यवाही है।

17.08.2019 जिसके द्वारा अपीलार्थियों को बुलाया गया था। बाद की कार्यवाही किसी भी तरह से विचार न करने का आधार नहीं हो सकती है

दिनांकित 17.08.2019 आदेश की शुद्धता और वैधता। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर 17.08.2019 दिनांकित आदेश की शुद्धता पर विचार करने से इनकार करने में पूरी तरह से गलती की कि धारा 446 Cr.P.C के तहत 18.09.2019 नोटिस जारी किया गया है। जब और जब यह पाया जाता है कि धारा 319 Cr.P.C के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए 17.08.2019 का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, तो उसके बाद की सभी कार्यवाही स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगी। 18.09.2019 दिनांकित आदेश जिसके द्वारा न्यायालय ने उपस्थित होने का निर्देश दिया है

अभियुक्त-अपीलार्थी को उसके तार्किक अंत तक ले जाया जाना है, लेकिन वह आदेश दिनांकित पूर्व आदेश 17.08.2019 के लिए सुरक्षा कवच प्रदान नहीं कर सकता है जिसके द्वारा अपीलार्थी को तलब किया गया है। [पैरा 9,10,11 और 13] [198-बी-सी; एफ-जी; 199-एफ-एच; 200-बी-सी]

3. न्यायालय की बाद की कार्यवाही जो अभिलेख पर लाई गई हैं, इंगित करती हैं कि अपीलार्थी सं। 2 और 1 अदालत के समक्ष पेश हुए हैं और उन्हें जमानत भी दी गई है।

[पैरा 14] [200-सी] अजय कुमार @बिट्टू और एएनआर। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

4. इस अपील में लिया गया एक आधार यह है कि अपीलार्थी घटना की तारीख पर नंबर 1 किशोर है, उसकी जन्म तिथि 01.04.2000 है। उपरोक्त आधार पर भी उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। अपीलार्थियों का आपराधिक संशोधन उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार नए सिरे से विचार किया गया। [पैरा 15 और 16] [200-डी-ई]

मामला कानून संदर्भ

[2014] 2 एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा 5

[2019] 8 एससीआर 187

उस पर भरोसा करें

पैरा 6

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2021 का सं. 88।

उच्च न्यायालय के 27.09.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. एल. में नैनीताल में उत्तराखंड का। 2019 का संशोधन सं. 570।

विनय अरोड़ा, डीएजी, प्रदीप गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, सुश्री मानसी गुप्ता, कृष्ण कुमार, सुश्री नंदनी गुप्ता, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, रणबीर सिंह यादव, प्रतीक यादव, श्रीमती प्रतिमा यादव, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, न्यायमूर्ति

अनुमति दी गई।

2. यह अपील उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई है।

उत्तराखंड की अदालत ने 27.09.2019 दिनांकित किया, जिसके फैसले से उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दायर आपराधिक संशोधन को खारिज कर दिया था। अपीलार्थियों द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, लक्सर द्वारा पारित दिनांक 17.08.2019 के आदेश के खिलाफ आपराधिक संशोधन दायर किया गया था, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को अदालत द्वारा धारा 319 Cr.P.C के तहत तलब किया गया था।

3. इस पर निर्णय लेने के लिए मामले के संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है।

अपील इस प्रकार है:

अपीलार्थी को एफ़. आई. आर. No.175/2015 में अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस थाना कोटवाली, लक्सार, हरिद्वार, धारा 147 के तहत,

148 , 149 , 323 , 324 , 307 , 452 , 504 और छह के साथ 506 आई. पी. सी.

अन्य अभियुक्त। एक एफ. आई. आर. No.176/2016 भी दर्ज की गई थी।

धारा 147,148,149,307 के तहत वही पुलिस स्टेशन,

452 , 504 , 506 आई. पी. सी. जिसमें शिकायतकर्ता अन्य के साथ

अभियुक्तों को सजा दी गई। पुलिस ने [2021] 1 एस. सी. आर. को अंजाम देने के बाद

जाँच ने अपीलार्थियों को दोषमुक्त करते हुए एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जाँच अधिकारी ने जाँच के बाद अभियुक्तों की सूची से याचिकाकर्ता बिट्टू और ज्योति के नाम आरोप-पत्र से हटा दिए।

मुकदमा 2016 के मामले No.228 में शुरू हुआ जिसमें सूचना देने वाला

पहल सिंह की जांच पीडब्लू-1 के रूप में की गई। पहल सिंह ने अपने बयान में अपीलार्थियों सहित सभी अभियुक्तों को फंसाया लेकिन अपीलार्थियों को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई। पीडब्लू-2, मोनू द्वारा भी बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने अपीलार्थियों को फंसाया था। सूचना देने वाले द्वारा धारा 319 Cr.P.C के तहत सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि मामले में अपीलार्थी को भी तलब किया जाए। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने न्यायालय में पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 द्वारा दिए गए बयानों को विस्तार से देखने के बाद आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया

दिनांकित 21.06.2018। दिनांकित 21.06.2018 आदेश के खिलाफ, सूचना देने वाले पहल सिंह ने आपराधिक संशोधन No.304 दायर किया।

2018 उच्च न्यायालय के समक्ष।

उच्च न्यायालय ने राजेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2019) 6 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया

एस. सी. सी. 368 ने संशोधन की अनुमति दी और धारा 319 Cr.P.C के तहत आवेदन पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। पैराग्राफ 7 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परिचालन भाग निम्नलिखित है;

" 7. उपरोक्त अनुपात और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लक्सर, हरिद्वार द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए और परिणामस्वरूप इसकी अनुमति दी जाती है। दिनांकित आदेश

21.06.2018 विद्वान अतिरिक्त सत्रों द्वारा पारित

2016 के सत्र परीक्षण No.228 में न्यायाधीश, लक्सार, जिला हरिद्वार, राज्य बनाम। चंद्र पाल और अन्य को खारिज कर दिया जाता है। इस मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लक्सर, जिला हरिद्वार को वापस भेज दिया जाता है, ताकि आवेदन पत्र No.53 (का/1) पर पुनर्विचार किया जा सके, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

iv. आपराधिक संशोधन में उच्च न्यायालय के दिनांक 11.07.2019 के आदेश के बाद, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने धारा 319 Cr.P.C के तहत आवेदन पर फिर से विचार किया।

न्यायाधीश ने पैराग्राफ 5 में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ-साथ राजेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए आवेदन की अनुमति दी और अपीलार्थियों को दिनांक 17.08.2019 के आदेश द्वारा तलब किया। ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थियों के खिलाफ 05.09.2019 पर जमानती वारंट जारी किया और जब वे 18.09.2019 पर पेश नहीं हुए तो जमानती वारंट जारी होने के बाद, अपीलार्थियों को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया और इसके तहत एक नोटिस जारी किया गया।

धारा 446 Cr.P.C जारी की गई थी कि दो प्रतिभू अरुण कुमार और चंद्र पाल से प्रतिभू की राशि क्यों नहीं ली जा रही है। अपीलकर्ताओं ने दिनांक 17.08.2019 के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उन्हें समन करता है।

उच्च न्यायालय ने बाद में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया

दिनांक 18.09.2019 का आदेश जिसके द्वारा धारा 446 Cr.P.C के तहत नोटिस जारी किया गया है। उच्च न्यायालय ने यह विचार लिया कि संशोधन 23.09.2019 पर दायर किया गया था, लेकिन 18.09.2019 पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है, इसलिए, आदेश को रिकॉर्ड पर नहीं रखने की बात छिपाई गई है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि धारा 319 के तहत आवेदन को अनुमति देने के अनुसरण में कार्यवाही की गई है

Cr.P.C. पहले ही शुरू किया जा चुका है, जिसमें संशोधनवादियों ने पहले ही संशोधन न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है जिसमें 18.09.2019 दिनांकित आदेश पारित किया गया है, संशोधन को खारिज किया जाना है। उच्च न्यायालय के दिनांक 27.09.2019 के आदेश से व्यथित होकर, यह अपील दायर की गई है।

4. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और

रिकॉर्ड तोड़ दिया।

5. धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति के प्रयोग के सिद्धांत। आपराधिक न्यायालय अच्छी तरह से तय किए गए हैं। इस न्यायालय की संविधान पीठ

मनदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2014) 3 एस. सी. सी

2 , धारा 319 Cr.P.C के सभी रूपों पर विस्तार से विचार किया गया है। इस संस्था ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है जिसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। यह न्यायालय

आरथर ने माना कि जिस परीक्षण को लागू किया जाना है वह वह है जो [2021] 1 एस. सी. आर. से अधिक है।

प्रथम दृष्टया मामला जैसा कि आरोप तय करने के समय प्रयोग किया गया था, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि सबूत, यदि अप्रमाणित हो जाता है, तो दोषसिद्धि का कारण बन सकता है। पैराग्राफ 105 और 106 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है: -

" 105. धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और एक असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इसकी अनुमति देती हैं। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। केवल वहाँ जहाँ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षय से किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और ठोस साक्षय होता है। कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग
एक आकस्मिक और घुड़सवार में नहीं किया जाना चाहिए

तरीके से।

106. इस प्रकार, हमारा मानना है कि हालांकि अदालत के समक्ष पेश किए गए साक्षय से केवल एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जरूरी नहीं कि प्रतिपरीक्षा के आधार पर परीक्षण किया जाए, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है

उसकी संलिप्तता की केवल संभावना की तुलना में सबूत। जिस परीक्षण को लागू किया जाना है वह ऐसा है जो प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है

आरोप तय करने के समय प्रयोग किया गया, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम कि यदि साक्षय का खंडन नहीं किया जाता है, तो यह दोषसिद्धि का कारण बन सकता है। इस तरह की संतुष्टि के अभाव में, अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सी. आर. पी. सी. की धारा 319 में यह उपबंध करने का उद्देश्य यदि "साक्षय से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जो अभियुक्त नहीं है" उन शब्दों से स्पष्ट है जिनके लिए ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

अभियुक्त के साथ "। उपयोग किए गए शब्द ऐसे नहीं हैं जिनके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत कार्य करने वाले न्यायालय के लिए कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है

अभियुक्त के अपराध के बारे में "।

6. इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने राजेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (सुप्रा) में फिर से वही अनुपात दोहराया जो

विवादित फैसले में उच्च न्यायालय ने भी फैसले पर भरोसा किया है।

7. अब हम उस कारण पर ध्यान दे सकते हैं जिसने उच्च न्यायालय को संशोधन को अस्वीकार करने के लिए राजी किया। मामले के तथ्यों पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने संशोधन पर विचार करने के लिए आगे बढ़े और निम्नलिखित शब्दों में इसे खारिज करने का कारण दर्ज किया:

" यद्यपि पुनरीक्षण के समर्थन में दायर आवेदन के पैराग्राफ 10 में इस आशय का संदर्भ दिया गया है कि कार्यवाही वर्तमान संशोधनवादियों द्वारा की गई थी।

सत्र न्यायालय और 18.09.2019 का आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत वर्तमान संशोधनवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

Cr.P.C की धारा 446 के तहत।

निम्नलिखित न्यायालय द्वारा पारित यह आदेश 18.09.2019 का है। उक्त आदेश की प्रति संशोधनवादियों को प्राप्त हुई थी

21.09.2019, जैसा कि इस न्यायालय को दलीलों के दौरान संशोधनवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रदान किए गए दिनांकित आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न फोलियो से स्पष्ट होगा, हालांकि यह आपराधिक संशोधन का हिस्सा नहीं है।

संशोधन स्वयं 23.09.2019 पर दाखिल किया गया था। अदालत द्वारा धारा 446 के तहत पारित उक्त आदेश को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि इस तथ्य के अलावा कि आदेश को अभिलेख पर नहीं रखने से एक छिपाव है, जो अन्यथा संशोधनकर्ता द्वारा संशोधन दाखिल करने से पहले प्राप्त किया गया है और इसके अलावा, क्योंकि धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत आवेदन की अनुमति देने का अनुसरण दिनांकित 18.09.2019 पारित कर दिया गया है। वर्तमान

पुनरीक्षण दाखिल करने से पहले सत्र न्यायालय के समक्ष पहले से ही चल रही कार्यवाही को देखते हुए, इस अदालत का विचार है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत पुनरीक्षण करने वालों को बुलाने के दिनांकित (आईडी1) के विवादित आदेश को एक साथ चुनौती देना इस अदालत के समक्ष तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि वर्तमान पुनरीक्षण करने वाले के कहने पर कार्यवाही में पारित किया गया (आईडी2) का आदेश कायम नहीं रहता।

नतीजतन, इस संशोधन में योग्यता का अभाव है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

क्योंकि यह इस न्यायालय के समक्ष टिकाऊ नहीं है। 8. उच्च न्यायालय के फैसले का अवलोकन इंगित करता है कि

अदालत ने दिनांकित 17.08.2019 आदेश की शुद्धता की जांच नहीं की, जिसमें अपीलार्थियों को अतिरिक्त जिले द्वारा तलब किया गया था।उ. धारा 319 Cr.P.C के तहत, बल्कि बाद के तथ्य के आधार पर आपराधिक आदेश को खारिज कर दिया है अर्थात धारा 446 Cr.P.C के तहत नोटिस द्वारा जारी किया गया है।

आगे यह विचार रखा कि चूंकि धारा के अनुसरण में कार्यवाही

319 Cr.P.C. पहले ही शुरू कर दिया गया है और यह कि 17.08.2019 दिनांकित आक्षेपित आदेश को एक साथ चुनौती नहीं दी गई है

धारा 319 Cr.P.C के तहत संशोधनवादी उच्च न्यायालय के समक्ष तब तक मान्य होंगे जब तक कि संशोधनवादी के कहने पर कार्यवाही में पारित किया गया 18.09.2019 का आदेश कायम नहीं रहता।

9. अब हम बाद की कार्यवाही की प्रकृति को देख सकते हैं।

दिनांकित 17.08.2019 आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थियों को तलब किया गया था। अपीलार्थी अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए आवेदन के साथ न्यायालय के आदेश पत्र को अभिलेख पर लाया है। आदेश पत्र इंगित करता है कि हालाँकि अपीलकर्ताओं को समन भेजा गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए हैं, इसलिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ Rs.10,000/- का जमानती वारंट जारी किया गया था। 05.09.2019 दिनांकित आदेश निम्नलिखित प्रभाव से है:

एस. डी./- अवैध। 05.09.2019

अरुण कुमार

रिकॉर्ड बनाया जाता है। आरोपी संदीप

चंद्रपाल

उपस्थिति उसकी सलाह के माध्यम से वितरित की गई

सिंह जितेंद्र

कासिम अंसारी। अनुमति दी गई। शेष आरोपी

गौतम

अरुण, चंद्रपाल, जितेंद्र और गौतम उपस्थित हैं। अभियुक्त ज्योति और बिट्टू को विधिवत समन भेजा जाता है। अभियुक्त ज्योति और बिट्टू अनुपस्थित हैं। ज्योति और बिट्टू के खिलाफ 18.09.2019 के लिए <ID2,000/का जमानती वारंट जारी किया जाएगा।

एस. डी./- अयोग्य

अंबिका पंत

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लक्सर,

जिला हरिद्वार "।

10. इसके बाद 18.09.2019 पर मामला फिर से लिया गया।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

एस. डी./- अवैध। 18.09.2019

अरुण कुमार

फ़ाइल बनाई जाती है। अभियुक्त चंद्रपाल

चंद्रपाल

गौतम, जितेंद्र और संदीप मौजूद हैं।

सिंह जितेंद्र

अभियुक्तों के खिलाफ जारी जमानती वारंट

गौतम

ज्योति और बिट्टू को परोसे जाने के बाद वापस कर दिया जाता है।

गारंटर द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद आरोपी ज्योति और बिट्टू को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है। आरोपी बिट्टू का मुचलका आरोपी अरुण कुमार है और आरोपी ज्योति का मुचलका उसके पिता आरोपी हैं।
चंद्रपाल और एक अन्य मुचलका आरोपी अरुण है। वे दोनों अदालत में मौजूद हैं। इसलिए, अभियुक्त बिट्टू और ज्योति को अदालत के समक्ष पेश नहीं करने के लिए उनके द्वारा निष्पादित जमानत बांड जब्त कर लिए जाते हैं। इसलिए, धारा 446 सी. आर. पी. सी. के तहत नोटिस इस इरादे से जारी किया जा रहा है कि यदि जमानत राशि है तो उनसे राशि क्यों नहीं ली जाए। अभियुक्त ज्योति और बिट्टू की उपस्थिति और गारंटरों द्वारा स्पष्टीकरण के लिए मामला पेश किया जाए।

30.09.2019 .

एस. डी./- अयोग्य

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लक्सर,

जिला हरिद्वार "।

11. 05.09.2019 और 18.09.2019 पर ली गई कार्यवाही दिनांकित 17.08.2019 के आदेश के परिणामस्वरूप और उसके बाद की कार्यवाही है। बाद की कार्यवाही किसी भी तरह से दिनांकित आदेश की शुद्धता और वैधता पर विचार नहीं करने का आधार नहीं हो सकती है।

17.08.2019 . हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय

आदेश की शुद्धता पर विचार करने से इनकार करने में पूरी तरह से गलती हुईदिनांक 17.08.2019 इस आधार पर कि धारा 446 Cr.P.C के तहत 18.09.2019 नोटिस जारी किया गया है। जब और जब यह पाया जाता है कि धारा 319 Cr.P.C के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए 17.08.2019 का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, तो उसके बाद की सभी कार्यवाहियां

स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है।

12. उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण जो निम्नलिखित में दर्ज किया गया है:

शब्द:

" ..... इस न्यायालय का विचार है कि कोई एक साथ चुनौती नहीं

आई. डी. 2 की धारा 319 के तहत संशोधनवादियों को समन करने वाला आई. डी. 1 का विवादित आदेश इस अदालत के समक्ष तब तक मान्य रहेगा जब तक कि वर्तमान संशोधनवादी के कहने पर कार्यवाही में पारित आई. डी. 3 का आदेश कायम नहीं रहता।

इसे सही दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है।

13. दिनांकित 18.09.2019 आदेश जिसके द्वारा न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थी की उपस्थिति का निर्देश दिया है, उसे अपने तार्किक अंत तक ले जाया जाना है, लेकिन वह आदेश दिनांकित

17.08.2019 के पहले के आदेश के लिए सुरक्षा कवच प्रदान नहीं कर सकता है जिसके द्वारा अपीलार्थी को तलब किया गया है।

14. न्यायालय की बाद की कार्यवाही जो अभिलेख पर लाई गई हैं, इंगित करती हैं कि अपीलार्थी नं. 2 और 1 अदालत के समक्ष पेश हुए हैं और उन्हें जमानत भी दी गई है।

15. इस अपील में लिए गए आधारों में से एक यह है कि अपीलार्थी संख्या 1 घटना की तारीख को किशोर है, उसकी जन्म तिथि 01.04.2000 है। उपरोक्त आधार पर भी उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

16. इस प्रकार हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का दिनांकित 27.09.2019 का विवादित निर्णय अस्थिर है और इसे निर्धारित किया जाना चाहिए। एक तरफ। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार अपीलार्थियों के आपराधिक संशोधन पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। अपील की अनुमति है।

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी